न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०
अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
18 / 2013	03 / 11 / 2007	19 / 08 / 2025

सीताराम पुत्री धन्ना जाति मीणा निवासी गण्डावद तह पीपल्दा जिला कोटा।

वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र रघुवीर जाति मीण नि० गण्डावद तह० पीपल्दा।
2. अयोध्या पुत्री रघुवीर जाति मीणा नि० गण्डावद तह० पीपल्दा।
3. गायत्री पुत्री रघुवीर जाति मीणा नि० गण्डावद तह० पीपल्दा।
4. संतोष पुत्री रघुवीर जाति मीणा नि० गण्डावद तह० पीपल्दा।
5. बद्री बेवा रघुवीर जाति मीणा नि० गण्डावद तह० पीपल्दा।
6. चतुर्भज पुत्र पन्ना जाति मीणा नि० गण्डावद तह० पीपल्दा जिला कोटा।
7. मूलचंद पुत्र पन्ना जाति मीणा नि० गण्डावद तह० पीपल्दा जिला कोटा।
8. चन्द्रप्रकाश पुत्र पन्ना जाति मीणा नि० गण्डावद तह० पीपल्दा जिला कोटा।
9. रामहेत पुत्र पन्ना जाति मीणा नि० गण्डावद तह० पीपल्दा जिला कोटा।
10. राज० सरकार जरिए तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा।

प्रतिवादी

वादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री इन्द्रजीत मीणा एड०।
प्रतिवादीकम 1 ता 5 की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री गिरिराज कुशवाहा एड०।
प्रतिवादीकम 6 ता 9 की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री हेमन्त शर्मा एड०।

वाद अन्तर्गत धारा – 88,89, आर.टी. एक्ट

निर्णय

यह कि ग्राम गण्डावद तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज की जमाबंदी सम्वत् 2034 ते 37 में खाता है. 79 में ख.नं. 351/96 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि बद्री के पिता धन्ना पुत्र श्योलाल मीणा नि–गण्डावद की गैर खातेदारी मे दर्ज थी जिसमे जरिये इन्तकाल नं. 99 दि. 13.9.79 से खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये। वादी धन्नालाल का एक मात्र कायम मुकाम वारिस है। यह कि सेटलमेंट विभाग द्वारा गत. ख.नं. 351/96 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा व ख०नं० 94 मिन रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा के नये ख०नं० 410 रकबा 2.19है०, ख०नं. 411 रकबा 0.12 है. कुल 2.31 है. भूमि दर्ज की गई जो गत रकबें के मुकाबले 0.14 है. कम दर्ज किया जिसके दुरुस्त करवाने का वादी अधिकारी है। यह कि गत ख०नं० 94 वादी के पिता व प्रतिवादी क्रम 6 लगायत 9 के पिता पन्ना की सामालाती खाते में दर्ज थी किन्तु ख. नं. 351/96 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि अकेले वादी के पिता को आवंटित की गई थी जिस पर प्रतिवादी 6 ता. 9 का कोई अधिकार नहीं है, मुताबिक 0.20 है. भूमि वादी अपने खाते में पृथक दर्ज करवाने का अधिकारी है। यह कि सेटलमेंट से पूर्व ख.नं. 96 मिन रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि वादीगण से प्रतिवादीक्रम 1 लगायत 5 के समीपवर्तित स्थित थी जिसके हेक्टर में 0.20 है. होते है, के बाद सेटलमैट नये ख. नं. 413 रकबा 0.35 है. पेमुद किया जाकर अवैध रूप से 0.15 है. की कमी रकबा दर्ज कर प्रतिवादी 1 ता. 5 के खाते दर्ज कर दी गई जिसका कि सेटलमेंट विभाग को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। यह कि वादी को यह कानूनी अधिकार प्राप्त है कि वह उसके पिता को आवंटित शुदा आराजी गत ख. नं. 51/96 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा के मुताबिक 0.20 है. भूमि स्वय के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करावे।

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

यह कि वादी को गत ख. नं. 351/96 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा का खातेदार घोषित किया जाकर मुत्ताबिक रकबा 0.20 है. पर खातेदारी दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी नं. 10 को दिया जाये।

वादी की ओर से वाद श्री इन्द्रजीत मीणा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिश्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादीकम 1 ता 5 की ओर से गिरिराज कुशवाहा एड0 ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादीकम 6 ता 9 की ओर से हेमन्त शर्मा एड0 ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 19.06.2023 को जवाब सरकार प्राप्त। शामिल पत्रावली है। साक्ष्यवादी पी0डब्ल्यू 1 सीताराम द्वारा वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबन्दी सम्वत 2034–37 प्रदर्श Exp 1, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श Exp 2, सटलमेन्ट जमाबन्दी सं0 2041–60 प्रदर्श Exp 3, सेटलमेन्ट जमाबन्दी सं0 2041–60 प्रदर्श Exp 4, नकल जमाबन्दी सम्वत 2062–65 प्रदर्श Exp 5, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2062–65 प्रदर्श Exp 6, नकल नक्शा ट्रेस वर्तमान प्रदर्श Exp 7, नकल नक्शा गत प्रदर्श Exp 8, नोटिस vs 80 cpc प्रदर्श Exp 9, नकल रसीद रजिस्ट्री प्रदर्श Exp 10, है। पी0डब्ल्यू0 2 गोपीचन्द, पी0डब्ल्यू0 3 मन्नालाल के शपथ पत्र पेश किए जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी वकील ने जिरह नहीं करना चाहा, वकील प्रतिवादी को साक्ष्य भी पेश करना नहीं चाहा। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

जवाब सरकारः– यह है कि ग्राम गंडावद में गत ख0नं0 351/96 की 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि जमाबंदी सम्वत् 2034–2037 खाता सं0 79 में धन्नालाल पुत्र श्योलाल मीना के खाते दर्ज है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल गत ख0नं0 351/96 मि0 रकवा 1 बीघा 5 बिस्वा, 94 मि. रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा, 94 मि. के हाल ख0नं. 410 रकवा 2.19है0, 411 रकबा 0.12है0, दर्ज किए है इस प्रकार 0.12है0, रकबा कम दर्ज किया गया है। खातेदारान की भूमि का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है।

	हाल ख0नं0	रकबा	गत ख0नं0	रकबा	कमी	वैशी
चतुर्भुज, मूलचन्द, चन्द्रप्रकाश,रामहेत पुत्रान पन्ना हि0 बराबर जाति मीणा सा0 देह	79	1.73	32मि0	11 बीघा 9 बिस्वा	0.05	–
	80	0.05	32मि0	–	–	–
	349	3.75	79	21 बीघा 9 बिस्वा	–	0.31
सीताराम पुत्र धन्ना जाति मीणा सा0देह	147	0.97	58	6 बीघा 10 बिस्वा	0.07	–
	371	0.17	118	12 बिस्वा		0.07
	380	0.12	112	15 बिस्वा	–	–
	381	0.25	116	1 बीघा 12 बिस्वा		
	410	2.9	94	13 बीघा 19 बिस्वा		
	411	0.12	351/96	1 बीघा 5 बिस्वा		
जगदीश पुत्र रघुवीर, अयोध्या, गायत्री, संतोष	326	0.09	232	12 बिस्वा	0.01	
	413	0.35	96	1 बीघा 5 बिस्वा	–	0.15

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

पुत्रिया, बद्रीबाई बैवा रघुवीर हि0 बराबर जाति मीणा सा0 देह	415	0.41	352 / 56	—	—	—

मौके पर ख0नं0 410 का रकबा 2.31है0 मौजूद है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल ख0नं0 349 का 0.31 है0 व ख0नं0 413 का 0.15है0, रकबा बेशी दर्ज किया गया है।

जवाब सरकार के बिन्दू सं0 3 के अनुसार जगदीश वगै0 के दादाजी गोपाल पुत्र रामबक्स के सेटलमेंट से पूर्व ख0नं0 96 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा आवंटन हुआ था। सेटलमेंट पश्चात उक्त ख0नं0 96 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा के बजाए नया ख0नं0 413 रकबा 0.35 है0 कायम कर दिया गया जो कि 0.20 है0 होना चाहिए था जिससे वर्तमान में 0.15है0, बेशी बना दिया। ख0नं0 410 का जमाबन्दी में रकबा 2.19है0 दर्ज है जबकि मौके पर ख0नं0 410 का रकबा 2.31है0 मौजूद है, जो जमाबन्दी से 0.12है0 अधिक है जिससे वादी के कमी रकबे की पूर्ति की जा सकती है, एवं शेष 0.07है0 भूमि के बारे में यह नहीं बता सके कि आया शेष 0.07हे0 भूमि किस ख0नं0 से दी जावे।

अतः ग्राम गण्डावद के ख0नं0 413 रकबा 0.35है0 खातेदार अयोध्या गायत्री सन्तोष पुत्री रघुवीर, बद्रीबाई पत्नि रघुवीर, जगदीश पुत्र रघुवीर जाति मीना खातेदार सभी राहिन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा लुहावद के ख0नं0 413 रकबा 0.35 है0 का रकबा 0.12है0 कम करते हुए ख0नं0 413 रकबा 0.23है0, दर्ज करें एवं वादी सीताराम पुत्र धन्ना मीना नि0 गण्डावद के ख0नं0 410 रकबा 2.19हे0 का रकबा संशोधित करते हुए ख0नं0 410 रकबा 2.31 दर्ज करने के आदेश प्रदान किए जाते है। तहसीलदार पीपल्दा उपरोक्तानुसार अमल दरामद करें। तदनुसार डिक्री जारी की जावे।

सहायक कलक्टर
इकाई जिला कोटा (राज.)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
18/2013	03/11/2007	19/08/2025

सीताराम पुत्री धन्ना जाति मीणा निवासी गण्डावद तह पीपल्दा जिला कोटा।

वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र रघुवीर जाति मीणा नि0 गण्डावद तह0 पीपल्दा।
2. अयोध्या पुत्री रघुवीर जाति मीणा नि0 गण्डावद तह0 पीपल्दा।
3. गायत्री पुत्री रघुवीर जाति मीणा नि0 गण्डावद तह0 पीपल्दा।
4. संतोष पुत्री रघुवीर जाति मीण नि0 गण्डावद तह0 पीपल्दा।
5. बद्री बेवा रघुवीर जाति मीणा नि0 गण्डावद तह0 पीपल्दा।
6. चतुर्भज पुत्र पन्ना जाति मीणा नि0 गण्डावद तह0 पीपल्दा जिला कोटा।
7. मूलचंद पुत्र पन्ना जाति मीणा नि0 गण्डावद तह0 पीपल्दा जिला कोटा।
8. चन्द्रप्रकाश पुत्र पन्ना जाति मीणा नि0 गण्डावद तह0 पीपल्दा जिला कोटा।
9. रामहेत पुत्र पन्ना जाति मीणा नि0 गण्डावद तह0 पीपल्दा जिला कोटा।
10. राज0 सरकार जरिए तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा।

प्रतिवादी

वादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री इन्द्रजीत मीणा एड0।
प्रतिवादीकम 1 ता 5 की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री गिरिराज कुशवाहा एड0।
प्रतिवादीकम 6 ता 9 की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री हेमन्त शर्मा एड0।

वाद अन्तर्गत पार– 88,89, आर.टी. एक्ट

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री गिरिराज कुशवाहा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू.................. मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता कि मुताबिक निर्णय दिनांक 19.08.2025 के ग्राम गण्डावद के ख0नं0 413 रकबा 0.35है0 खातेदार अयोध्या गायत्री सन्तोष पुत्री रघुवीर, बद्रीबाई पत्नि रघुवीर, जगदीश पुत्र रघुवीर जाति मीना खातेदार सभी राहिन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा लुहावद के ख0नं0 413 रकबा 0.35 है0 का रकबा 0.12है0 कम करते हुए ख0नं0 413 रकबा 0.23है0, दर्ज करें एवं वादी सीताराम पुत्र धन्ना मीना नि0 गण्डावद के ख0नं0 410 रकबा 2.19हे0 का रकबा संशोधित करते हुए ख0नं0 410 रकबा 2.31 दर्ज किया जावे। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है। राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह डिकी मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 19.08.2025 को जारी किया गया।

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलक्टर
इकाई जिला कोटा (राज.)